प्रेषक,

संख्या–2414/20–1–2016–2जी(150)/89

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण/जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग 1

लखनऊ, दिनांक 17 अगस्त, 2016

विषय–समाज कल्याण विभाग तथा जनजाति विकास विभाग के अधीन संचालित राजकीय विद्यालयों व संस्थाओं तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों, प्रवक्ताओं, प्रधानाध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों एवं राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में कार्यरत अधीक्षकों को अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के पश्चात सेवा विस्तारण(सत्रलाभ)विषयक निर्गत शासनादेश में आंशिक संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–270/सक/स्था–2/260/वे0विसंगति/2015–16, दिनांक 20 जून, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या–7704/26–1–90–2जी(150)/89, दिनांक 21 जनवरी, 1991 में यथाविशयक संशोधन करते हुए विभाग के अधीन संचालित राजकीय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों को शैक्षिक सत्र के मध्य अर्थात 01 अप्रैल के बाद और 31 मार्च के पहले अधिवर्षता आयु प्राप्त करने की दशा में शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र के अन्त तक अर्थात 31 मार्च तक सेवा विस्तारण का लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु यथोचित निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उल्लेखनीय है कि शिक्षा सत्र के मध्य अर्थात पहली जुलाई के बाद और 30 जून के पहले अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या–7022/15–1–84–31(10)/77, दिनांक 21.03.1984 में उल्लिखित सेवा शर्तों के अनुरूप समाज कल्याण विभाग तथा जनजाति विकास विभाग के अधीन संचालित राजकीय विद्यालयों व संस्थाओं तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों, प्रवक्ताओं, प्रधानाध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों को सेवा विस्तारण/सत्रलाभ की सुविधा शासनादेश संख्या–7704/26–1–90–2जी(150)/89, दिनांक 21 जनवरी, 1991 द्वारा प्रदान की गयी तथा कालान्तर में समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग के अधीन राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में कार्यरत अधीक्षकों को भी उक्त सुविधा शासनादेश संख्या–5717/26–1–95–2जी(150)/89, दिनांक 19 जनवरी, 1996 द्वारा प्रदान की गयी। शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या–1209/15–7–2014, दिनांक 15.10.2014 द्वारा शैक्षिक सत्र माह पहली जुलाई से 30 जून के स्थान पर पहली अप्रैल से 31 मार्च किया गया, जिसके क्रम में समाज कल्याण अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या–048/20–3–2015–10(1)/2015, दिनांक 25 मार्च, 2015 द्वारा समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित विद्यालयों/संस्थाओं हेतु शैक्षिक सत्र 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि निर्धारित किया जा चुका है।

3– अतएव समाज कल्याण तथा जनजाति विकास विभाग के अधीन संचालित राजकीय विद्यालयों व संस्थाओं तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों, प्रवक्ताओं, प्रधानाध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों एवं राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में कार्यरत अधीक्षकों को अधिवर्षता आयु के पश्चात सेवा विस्तारण(सत्रलाभ) संबंधी शासनादेश संख्या–7704/26–1–90–2जी(150)/89, दिनांक 21 जनवरी, 1991 तथा शासनादेश संख्या–5717/26–1–95–2जी(150)/89, दिनांक 19 जनवरी, 1996 में शैक्षिक सत्र पहली जुलाई से 30 जून के स्थान पर "शैक्षिक सत्र 01 अप्रैल से 31 मार्च" समझा जाय।

4– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवा विस्तारण/सत्रलाभ संबंधी प्रकरणों को पूर्व सेवा शर्तों के अधीन उपर्युक्तानुसार निर्धारित नये शैक्षिक सत्र के अनुसार प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
17.8.16
(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

म.ह.क.प.
प्र.अ. [illegible]